भारतीय विमानपत्तवन प्राधिकरण

प्रेस विज्ञप्ति

भारतीय विमानपत्तवन प्राधिकरण की नई टेलीफोन नीति 2014 जारी करना

नई दिल्लीम , मई 23 , 2014: भारतीय विमानपत्तान प्राधिकरण ने भा वि प्रा की आंतरिक प्रमुख आवश्यरकताओं के दस्ता वेजीकरण के क्रम ,मेंसंगठन के अंतर्गत टेलीफोन की नित्य आवश्याकताओं के संबंध में एक समेकित नीति बनाई है । श्री आलोक सिन्हा,आई ए एस, संयुक्त सचिव,ना. वि. मं. तथा अध्ययक्ष,भा वि प्रा ने श्री वी. सोमासुन्द्रम , सदस्य् (ए एन एस) तथा भा वि प्रा के अन्य वरिष्ठअ अधिकारियों के साथ यह नीति जारी की ।

नई नीति में भा वि प्रा के कार्मिकों द्वारा निगमित मुख्यायलय तथा यूनिट कार्यालयों में आधुनिक सुविधा के प्रयोग के प्रकार तथा प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं । देश भर की सभी इकाइयों में एक समान दस्ता वेजीकरण का उद्देश्यए प्राधिकरण के प्रशासनिक तथा प्रचालनात्म क दोनों ही क्षेत्रों में कार्य निष्पापदन में सुधार लाना है ।

नई नीति कार्मिकों के प्राधिकार सुनिश्चित करती है ताकि त्वहरित व सही समय पर सेवाएं प्रदान की जाएं जिससे कि व्यकक्तिगत कार्यों को संगठनात्ममक उद्देश्ये के अनुरूप बना कर भा वि प्रा के लिए उच्च कार्यकुशलता व परिणाम प्राप्तु किए जा सकें ।

जनसंपर्क निदेशालय द्वारा जारी

विस्तृत विवरण हेतु कृपया संपर्क करें :

महाप्रबंधक (जनसंपर्क) 9810025069, 011-24622787

सं. 09/2014-15

भा वि प्रा की प्रमुख आवश्यसकताओं के दस्ता0वेजीकरण के क्रम में, भा वि प्रा के संचार विभाग ने भा वि प्राके लिए नई टेलीफोन नीति बनाई है । श्री आलोक सिन्हा, आई ए एस , संयुक्त सचिव, ना. वि. मं. तथा अध्यअक्ष, भा वि प्रा ने नई टेलीफोन नीति 2014 जारी की । चित्रमें साथ में हैं , श्री वी. सोमासुन्द रम, सदस्य (ए एन एस) श्री एस. भट्टाचार्य, का. नि. (सी एन एस-ओ एम) तथा भा वि प्रा के अन्यए वरिष्ठ अधिकारीगण ।